कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची
E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com
Phone & Fax No. 0651-2481813

पत्रांक :– 01/यो0ब0/ल0व0टी0एस0पी0–43/2015(खण्ड–1)–1250

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी/सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा / गुमला वन प्रमंडल, गुमला/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर/सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा/चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा।

दिनांक :–26/11/2015

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत कुसमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषको को प्रोत्साहन देने) हेतु त्री–वर्षीय कार्य एवं साल पत्तल, सवई घास से रस्सी निर्माण, बाँस से हस्तनिर्मित वस्तु तैयार करने के लिए प्रशिक्षण, संग्रहण एवं विपणन का कार्य को प्रोत्साहन देने हेतु कुल 419.142 लाख (चार करोड़ उनीस लाख चौदह हजार दो सौ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्राप्त राशि का ऑन–लाईन उप आवंटन के संबंध में।**

प्रसंग :– वन विभागीय स्वकृत्यादेश संख्या एवं पत्र संख्या 4/यो0बजट–68/2015–46/ स्वी0 व0प0 दिनांक 14.11.2015 एवं आवंटन आदेश संख्या–04/यो0बजट–68 /2015–70/आ0 व0प0 दिनांक 20.11.2015 ।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत कुसमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषको को प्रोत्साहन देने) हेतु त्री–वर्षीय कार्य एवं साल पत्तल, सवई घास से रस्सी निर्माण, बाँस से हस्तनिर्मित वस्तु तैयार करने के लिए प्रशिक्षण, संग्रहण एवं विपणन का कार्य को प्रोत्साहन देने हेतु **कुल 419.142 लाख (चार करोड़ उनीस लाख चौदह हजार दो सौ रुपये) मात्र** की स्वीकृति प्राप्त राशि राशि का ऑन–लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या एवं पत्र संख्या 4/यो0बजट–68/2015–46/ स्वी0 व0प0

दिनांक 14.11.2015 एवं आवंटन आदेश संख्या–04/यो0बजट–68/2015–70/आ0 व0प0 दिनांक 20.11.2015 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :–

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड़	आवंटित राशि
1	2406– वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–09–लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना	मजदूरी	19P240601796090103	43.208
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601796090323	369.495
		प्रशिक्षण व्यय	19P240601796090335	6.439
कुल आवंटित राशि				**419.142**

अर्थात् कुल **419.142 लाख (चार करोड़ उनीस लाख चौदह हजार दो सौ रुपये)** मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्त्तमान आवंटित राशि **419.142 लाख (चार करोड़ उनीस लाख चौदह हजार दो सौ रुपये)** मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406– वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–09–लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक–1(क) एवं 1(ख) में अंकित विवरणी के अनुरुप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उपकोषागार से की जायेगी।

5. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–301 दिनांक–11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वियन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा वन संरक्षक एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन की सफलता हेतु सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुश्रवण प्रतिवेदन नियमित रुप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने अधीनस्थों को अनुपालनार्थ एवं नियंत्री पदाधिकारियों को समर्पित करेंगे।

7. योजना के कार्यान्वियन हेतु लाभुको/संयुक्त वन प्रबंधन के स्वयं सहायता समूह का चयन करते समय वन प्रमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन लाभुको/संयुक्त वन प्रबंधन के स्वयं सहायता समूह का चयन उनके द्वारा किया जाएगा वो लाह की खेती हेतु प्रोत्साहन की वन

[illegible]
नहीं रहे हैं।

8. आवंटित राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास झारखण्ड, राँची से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त की जायेगी।

9. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम सं0 300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जाएगा।

10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

11. लाह उत्पादन एवं अन्य कार्यों का विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

13. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतनद र के अनुरुप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरुप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक–16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

16. साल–पत्तल, सवई ग्रास एवं बाँस से हस्त निर्मित वस्तुवें हेतु प्रशिक्षण एवं विपणन वन विकास अभिकरण के माध्यम से किया जाएगा, तथा पारिदर्शिता हेतु सभी भुगतान बैंक खाता के माध्यम से किये जायेंगे।

17. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371, दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371, दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित

19. आवंटित राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

20. इस योजना के अन्तर्गत किये गये ऑन–लाईन उप आवंटन अनुलग्नक–1 तथा प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न–1 (क) एवं 1 (ख) पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :– यथोक्त।

ह0/–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–**01 / यो0ब0 / ल0व0टी0एस0पी0–43 / 2015(खण्ड–1)–1250** राँची, दिनांक :–**26.11.2015**

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा / एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

26/11/2015

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2015-16\Development\Prastaw\TSP\Anudan/Jharkhand Zoo Autority . 4

झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/yb-43/2015/1250 दिनांक - 26-Nov

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601796090103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	77371	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	735,700.00 रुपये सात लाख पैंतीस हजार सात सौ
2	P 19 240601796090103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	77372	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	1,471,300.00 रुपये चौदह लाख इकहत्तर हजार तीन सौ
3	P 19 240601796090103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	77373	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	806,300.00 रुपये आठ लाख छः हजार तीन सौ

योग: 3,013,300.00

क्रमिक योग: रुपये तीस लाख तेरह हजार तीन सौ

26/11/2015

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 26/11/2015

पत्र संख्या - 01/yb-43/2015/1250 दिनांक - [illegible]

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601796090103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	77374	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	606,000.00 रुपये छः लाख छः हजार
5	P 19 240601796090103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	77376	SGHFOR011 SRI.SATISH CHANDRA RAI D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	601,500.00 रुपये छः लाख एक हजार पाँच सौ
6	P 19 240601796090103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	77377	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	100,000.00 रुपये एक लाख
7	P 19 240601796090323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	77378	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	7,952,200.00 रुपये उन्नासी लाख बावन हजार दो सौ

योग: 9,259,700.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड़ बाइस लाख तीहत्तर हजार 12,273,000.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDl.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

 Run Date: 26/11/2015

पत्र संख्या - 01/yb-43/2015/1250 दिनांक - 26-Nov

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601796090323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना 09 . लघु वन पदार्थो का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	77379	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	15,904,400.00 रुपये एक करोड उनसठ लाख चार हजार चार सौ
9	P 19 240601796090323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना 09 . लघु वन पदार्थो का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	77380	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	8,715,500.00 रुपये सित्यासी लाख पंद्रह हजार पाँच सौ
10	P 19 240601796090323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना 09 . लघु वन पदार्थो का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	77381	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	2,044,000.00 रुपये बीस लाख चवालीस हजार
11	P 19 240601796090323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना 09 . लघु वन पदार्थो का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	77382	SGHFOR011 SRI.SATISH CHANDRA RAI D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	2,083,400.00 रुपये बीस लाख तिरयासी हजार चार सौ

योग: 28,747,300.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड दस लाख बीस हजार तीन सौ 41,020,300.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

 Run Date: 26/11/2015

पत्र संख्या - 01/yb-43/2015/1250 दिनांक - 26-Nov

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601796090323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना 09 . लघु वन पदार्थो का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	77383	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	250,000.00 रुपये दो लाख पचास हजार
13	P 19 240601796090335 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना 09 . लघु वन पदार्थो का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 35 . प्रशिक्षण व्यय	77384	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	51,000.00 रुपये इकायन हजार
14	P 19 240601796090335 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना 09 . लघु वन पदार्थो का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 35 . प्रशिक्षण व्यय	77385	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	102,000.00 रुपये एक लाख दो हजार
15	P 19 240601796090335 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना 09 . लघु वन पदार्थो का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 35 . प्रशिक्षण व्यय	77386	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	55,900.00 रुपये पचपन हजार नौ सै

योग: 458,900.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड चौदह लाख उन्नासी हजार दो सौ 41,479,200.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 26/11/2015

पत्र संख्या - 01/yb-43/2015/1250 दिनांक - 26-Nov

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601796090335 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 35 . प्रशिक्षण व्यय	77387	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	200,000.00 रुपये दो लाख
17	P 19 240601796090335 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 35 . प्रशिक्षण व्यय	77388	SGHFOR011 SRI.SATISH CHANDRA RAI D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	85,000.00 रुपये पिचयासी हजार
18	P 19 240601796090335 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 35 . प्रशिक्षण व्यय	77389	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	150,000.00 रुपये एक लाख पचास हजार

योग: 435,000.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड उन्नीस लाख चौदह हजार दो सौ 41,914,200.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

 Run Date: 26/11/2015

अनुलग्नक– 1(क)

वित्तीय वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत कुसमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समुह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

लाह–पोषक प्रजाति कुसुम के वृक्षों की संख्या–12500 प्रति वन प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 187.43 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय वर्ष 2015–16 प्रथम वर्ष			
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
				7.357	**79.522**	**0.510**	**87.389**
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**	**vii**	**viii**
1	खूँटी वन प्रमंडल,	125	12500	7.357	79.522	0.510	87.389
2	सिमडेगा वन प्रमंडल,	250	25000	14.713	159.044	1.020	174.777
3	गुमला वन प्रमंडल,	137	13700	8.063	87.155	0.559	95.777
	योग :–	**512**	**51200**	**30.133**	**325.721**	**2.089**	**357.943**

अनुलग्नक– 1(ख)

वित्तीय वर्ष 2015–16 में संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह को साल पत्तल, सवई घास से रस्सी निर्माण, बाँस से हस्तनिर्मित वस्तु तैयार करना संग्रहण तथा विपणन का कार्य को प्रोत्साहन देने हेतु एक वर्षीय कार्य का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	कार्य विवरणी/भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2015–16 प्रथम वर्ष			
			मजदूरी	आपूर्ति	प्रशिक्षण	कुल
1	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	काजू प्रोसेसिंग प्लांट	5.060	17.940	0.500	23.500
		बाँस से हस्तनिर्मित वस्तु तैयार करना	1.000	2.500	1.500	5.000
2	सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा	साल पत्तल एवं सवई घास से रस्सी निर्माण, संग्रहण तथा	6.015	20.834	0.850	27.699
3	चाईबासा वन प्रमंडल	बाँस से हस्तनिर्मित वस्तु तैयार करना	1.000	2.500	1.500	5.000
		योग :–	**13.075**	**43.774**	**4.350**	**61.199**
		सकल योग :–	**43.208**	**369.495**	**6.439**	**419.142**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची